# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 188/2025**

शैलेन्द्र जैन **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, सीएडी सर्किल, रावतभाटा सडक, सीएडी कॉलोनी, दादाबाडी, कोटा (राज.)।
4. सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, सीएडी सर्किल, रावतभाटा सडक, सीएडी कॉलोनी, दादाबाडी, कोटा (राज.)।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 09.01.2025
**आदेश की दिनांक** : 22.08.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अक्षित गुप्ता, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से** : श्री राजेश मुथा, अभिभाषक

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये यह प्रार्थना की है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर कोटा विकास प्राधिकरण, (नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और वर्तमान में तदर्थ आधार पर

अधिशाषी अभियंता के पद विरूद्ध कार्य कर रहा है। जबकि अपीलार्थी उक्त पद की समस्त योग्यता रखता है। अपीलार्थी को तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई। आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2024 बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है। चूंकि इस तरह की तदर्थ पदोन्नति बिना नियमित डीपीसी आयोजित किये पूर्व में दी गई और ऐसे कार्मिकों को नियमित पदोन्नत किया गया है। चूंकि 20 वर्ष से अधिशाषी अभियंता की कोई डीपीसी आयोजित नहीं की गई है और अपीलार्थी की नियमित डीपीसी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही काल्पनिक आधार पर सहायक अभियंता के पद पर नियमित पदोन्नति देने का। नियम, 1954 में रिक्तियों का वित्तीय वर्ष में सही निर्धारण और वर्षवार नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा रिक्तियों को आवश्यकतानुसार भरे जाने का प्रावधान है। यदि ऐसे रिक्त पद जिनका पूर्व वर्ष में निर्धारण नहीं किया गया और न ही भरे गये जबकि उनकी भरे जाने की आवश्यकता थी, वे पद पदोन्नति से भरे जाने थे तो कमेटी ऐसे मामले में विचार करेगी तथा जो कार्मिक जिस वर्ष में योग्य होंगे, उस वर्ष में कमेटी आयोजित कर नियमानुसार पदोन्नति की जावेगी तथा कार्मिक का वेतन पदोन्नति अनुसार पुनर्निधारण किया जायेगा और समय–समय पर उसे पदोन्नति प्रदान की जायेगी, परंतु कोई शेष राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। इस आधार पर अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा अधिशाषी अभियंता के पद की बिना डीपीसी आयोजित किये कनिष्ठ अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के साथ सहकर्मी को अधिशाषी अभियंता के पद पर पहले ही पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को बिना अवसर दिये उच्चतर पद से निम्नतर पद पर अधिशाषी अभियंता के पद से कनिष्ठ अभियंता के पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य सम्पादित करने के आदेश जारी किये गये हैं, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.12.2018 के द्वारा आवश्यक अस्थायी (तदर्थ) आधार पर एक वर्ष अथवा डीपीसी आयोजित जो भी पहले हो, तक के लिये पदोन्नत किया गया। डीपीसी की अनुशंषा के आधार पर

ही पदोन्नति प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति प्रक्रिया कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के दिशा–निर्देशानुसार अपनायी जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2024 को डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुख्य अभियंता, अधिशाषी अभियंता से अधीक्षक अभियंता, सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद के लिये रिक्ति वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी को नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 17.09.2007 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर अमेलित/समायोजित किया गया, जिसमें उसे सबसे कनिष्ठतम वरिष्ठता पर रखे जाने की शर्त रखी गई और आदेश दिनांक 20.09.2021 के द्वारा दिनांक 01.04.2014 से अपीलार्थी के कनिष्ठ अभियंता के पद की वरिष्ठता पर विचार किया गया और अपीलार्थी की वरिष्ठता सबसे कनिष्ठतम होने के कारण उसकी पदोन्नति पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2025 के द्वारा पूर्वस्थिति में कनिष्ठ अभियंता के पद पर करते हुये कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी 20 वर्ष से सेवायें दे रहा है और वर्तमान में अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा था। अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद की सभी वांछित योग्यतायें रखते हुये भी उसे पूर्ववत पद कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। जबकि ऐसे कार्मिक अभी भी अधिशाषी अभियंता के पद पर कार्य कर रहे हैं। अपीलार्थी आदेश दिनांक 01.05.2001 के द्वारा पूर्व में नगर विकास न्यास, कोटा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित था और आदेश दिनांक 17.09.2007 के द्वारा उसे समायोजित/अमेलित दिनांक से उसकी वरिष्ठता की गणना करते हुये उसे नगर विकास न्यास, कोटा में समायोजित किया गया। उनका कथन है कि समायोजित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी की सेवाओं की गणना भी की जानी चाहिये, जिसके संबंध में अपीलार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान की गई कि अपीलार्थी की समायोजन से पूर्व की सेवा अवधि की गणना पदोन्नति हेतु की जावेगी। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी पूर्व की सेवाओं की गणना न करते हुये उसे पूर्ववत पद पर पदस्थापित कर दिया, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर कोटा विकास प्राधिकरण, (नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और वर्तमान में तदर्थ आधार पर अधिशाषी अभियंता के पद विरूद्ध कार्य कर रहा है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2025 के द्वारा अधिशाषी अभियंता से पूर्ववत पद कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 17.09.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नगर विकास न्यास सेवा में शर्तों के आधार पर आमेलित (absorb) किया गया और आदेश दिनांक 09.03.2011 के द्वारा तदर्थ आधार पर कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु अपीलार्थी शैक्षणिक अवकाश पर होने के कारण विभाग में कार्यग्रहण पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.10.2012 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ आधार पर एक वर्ष अथवा आगामी डीपीसी की बैठक होने तक जो भी पहले हो, तक के लिये पदोन्नत किया गया। इसी प्रकार आदेश दिनांक 18.12.2018 के द्वारा तदर्थ आधार पर अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2012 में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री उत्तीर्ण की। अपीलार्थी आदेश दिनांक 17.09.2007 के द्वारा नगर विकास न्यास, कोटा में आमेलित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी लगभग 18 वर्ष से अपनी सेवायें कनिष्ठ अभियंता के पद पर नगर विकास न्यास में दे रहा है। जहां तक अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति समिति द्वारा अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि दिनांक 21.11.2024 को डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुख्य अभियंता, अधिशाषी अभियंता से अधीक्षक अभियंता, सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद के लिये रिक्ति वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को तदर्थ आधार पर एक वर्ष अथवा डीपीसी आयोजित होने तक जो भी पहले हो, तक के लिये पदोन्नतियां दी गई हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष रिक्त पदों का निर्धारण किया जाना एवं डीपीसी आयोजित किये जाने का उल्लेख किया गया है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि कनिष्ठ अभियंता से मुख्य अभियंता तक के पदों पर पदोन्नतियों के संबंध में डीपीसी दिनांक 21.11.2024 को आयोजित की गई, जिसमें एक साथ रिक्ति वर्ष 2022–23,

2023–24 एवं 2024–25 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया और उसे तद्र्थ आधार पर अधिशाषी अभियंता के पद से कनिष्ठ अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित (revert) कर दिया गया। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे। यदि अपीलार्थी नियमानुसार पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो उसे पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**